

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-312 दिनांक-09.01.2026 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-13.01.2026 में मद संख्या-33 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी सचिका लौटायी जाती है।

33. बिहार विधानमंडल के वरिष्ठ माननीय सदस्यगण (जो मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं हैं) को विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित आवास के अलावा पटना केन्द्रीय पूल से कुल-15 आवासों को मानक किराया पर अतिरिक्त आवास के रूप में सशर्त आवंटित करने की स्वीकृति के संबंध में।

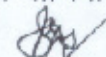
33. स्वीकृत।


कुमार रवि

कुमार रवि

 13/01/26

(अरविन्द कुमार वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग



बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

—::संकल्प::—

दिनांक—(५).01.2026

विषय:— बिहार विधानमंडल के वरिष्ठ माननीय सदस्यगण (जो मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं हैं) को विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित आवास के अलावा पटना केन्द्रीय पूल से कुल—15 आवासों को मानक किराया पर अतिरिक्त आवास के रूप में सशर्त आवंटित करने के संबंध में।

बिहार सरकारी परिसर आवंटन प्रशासनिक पूल नियमावली, 1996 के नियम-4 के आलोक में विधानमंडल के माननीय सदस्यगणों के आवासन हेतु विधान परिषद् एवं विधान सभा पूल में पटना केन्द्रीय पूल से आवास हस्तांतरित किए जाते हैं। इन आवासों को विधान परिषद् एवं विधान सभा सचिवालय द्वारा मानक किराए पर माननीय सदस्यगण को आवंटित किया जाता है।

2. बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण हेतु विधायक आवासन परिसर, वीरचंद पटेल पथ, पटना में 243 उच्चतम श्रेणी के आवासों (प्रत्येक का निर्मित कुर्सी क्षेत्रफल 3681 वर्ग फीट) का निर्माण किया गया है तथा विधान सभा क्षेत्रवार कर्णांकित करते हुए इन आवासों को विधान सभा पूल में हस्तांतरित कर दिया गया है। इसी प्रकार बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण हेतु विधान पार्श्व आवासन परिसर, आर ब्लॉक, पटना में 75 उच्चतम श्रेणी के आवासों (प्रत्येक का निर्मित कुर्सी क्षेत्रफल 3681 वर्ग फीट) का निर्माण किया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित करने की कार्रवाई की जा रही है। विधायक आवासन परिसर तथा विधान पार्श्व आवासन परिसर के बाहर अवस्थित सभी आवासों को पटना केन्द्रीय पूल में वापस ले लिए जाने के फलस्वरूप विधानमंडल के वरिष्ठ माननीय सदस्यगण को पटना केन्द्रीय पूल से आवास उपलब्ध कराने की बाध्यता हो गयी है।

3. कई बार माननीय सदस्यगण द्वारा वरीयता के आधार पर पटना केन्द्रीय पूल से आवास की मांग की जाती है। कई मामलों में ऐसे माननीय सदस्यगण पूर्व में राज्य

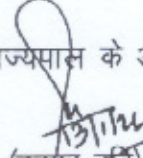
मंत्रिपरिषद् में मंत्री के रूप में अथवा विधानमंडल के सदस्य कई टर्म रह चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में इन वरीय माननीय सदस्यों के लिए पटना केन्द्रीय पूल से आवास आवंटन के संबंध में निम्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं:-

- i. बिहार विधानमंडल के ऐसे वरिष्ठ माननीय सदस्यगण (जो मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं हैं) हेतु पटना केन्द्रीय पूल से आवास आवंटन के निमित्त 15 आवासों को सुरक्षित रखा जाएगा।
 - ii. बिहार विधान परिषद् के अधिकतम 05 तथा बिहार विधान सभा के अधिकतम 10 वरिष्ठ माननीय सदस्यगण को पटना केन्द्रीय पूल से आवास आवंटित किया जायेगा।
 - iii. पटना केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त आवास आवंटन हेतु भवन निर्माण विभाग में प्राप्त आवेदनों को कंडिका-4 में वर्णित शर्तों के अनुसार माननीय सदस्यगण की वरीयता का सत्यापन हेतु विधान परिषद्/विधान सभा को भेजी जायेगी।
 - iv. सत्यापन के आधार पर पटना केन्द्रीय पूल से संबंधित विधानमंडल सदस्य को आवास भवन निर्माण विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आवंटित किया जायेगा।
 - v. माननीय सदस्यगण हेतु विधानमंडल पूल में कर्णाकित आवास के अलावा पटना केन्द्रीय पूल का आवास मानक किराया पर स्वयं के द्वारा विद्युत शुल्क भुगतान के आधार पर अतिरिक्त आवास के रूप में आवंटित किया जायेगा। कर्णाकित आवास का मानक किराया पूर्ववत् देय होगा।
 - vi. पटना केन्द्रीय पूल से आवंटित आवास अथवा कर्णाकित आवास का आवासन के अतिरिक्त उनका अन्य किसी प्रयोजन से उपयोग नहीं किया जायेगा।
 - vii. विधानमंडल का सदस्य नहीं रहने की स्थिति में यह आवंटन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
 - viii. आवास आवंटन नियमावली के अन्य सभी नियम पूर्ववत् लागू रहेंगे।
4. विधानमंडल के माननीय सदस्यगण की वरीयता के आधार पर पटना केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त आवासों के आवंटन की अनुशंसा की शर्तें निम्नवत् होगी :-
- i. माननीय सदस्यगण जो 6 या अधिक बार विधानमंडल के सदस्य चुने गए हों तथा कम-से-कम एक बार राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य रहें हों; या

- ii. कम-से-कम तीन बार राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य रहें हों ; या
iii. पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री के रूप में पद धारण किए हों।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

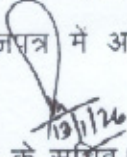
बिहार राज्यसभा के आदेश से,


(कुमार रवि)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-भवन/भू-संपदा-09-आवास(विधानमंडल)-04/2025 453 (ग) दिनांक- 14/1/26

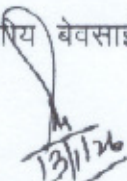
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (ई-गजट शाखा), बिहार पटना को राजपत्र में असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-भवन/भू-संपदा-09-आवास(विधानमंडल)-04/2025 453 (ग) दिनांक- 14/1/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता/केन्द्रीय भवन प्रमण्डल सं0-2/गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल/पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल/पटना भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।